




राजस्थान-सरकार  
राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनूं (राजस्थान)  
(दिनांक 12.03.2022 शनिवार)  
लोक अदालत बैच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 19

GCMS NO- .....

राजपूत बनाम श्रीकांत चौहान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.2022	<p>आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बैताल्लुका बुहाना न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई। तहसीलदार बुहाना जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी उपस्थित। तहसीलदार बुहाना उपस्थित। वादी बैच के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि इस पत्रावली में मिह समस्त पक्षकारान/खातेदारान का आपसी धरेलु समझौता हो चुका है। इसलिए इस वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता है। वाद पत्र को विद्गा करने की कृपा करे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारान को आपसी धरेलु समझौता हो चुका है। अतः वादी को इस वाद पत्र को विद्गा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर विद्गा किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> (श्रीकांत सदस्य अधिवक्ता उपखण्ड अधिकारी बुहाना</p> <p> (सुनील कुमार चौहान) सदस्य</p> <p> (दीपक कुमार) अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी</p>	

